न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/68/2021	2022/98	28.02.2022	19.04.2022

1–जाकिर हुसैन पुत्र मजीद जाति मेव, उम्र करीब 50 साल, निवासी ओदरा तह0 किश्नगढ़बास, जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1–जफरूदीन ।
2–अरसद पुत्रान मजीद
3–अरसीदा पत्नि जफरूदीन ।
4–जायदा बेवा फकरूदीन हाल पत्नि अरसद।
5–वसीमा पुत्री फकरूदीन।
6–तोसीना पुत्री फकरूदीन जाति मेव निवासीयान ओदरा तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री गितेश सैन –वकील प्रार्थी
02. श्री संतोष बसंल –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के न्यायालय में विचाराधीन दावा, तकासमा बअनुवानी जाकिर हुसैन वगे0 बनाम जफरूदीन को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैः की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में उक्त अनुवानी प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के दबाव में हैं तथा पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आते–जाते देखा है। अप्रार्थीगण ने एलानिया कहा है कि हमारी साहब से बात हो गई है। स्थगन को आगामी तारीख पेशी पर तुडवा देगें दिनांक 28.02.2022 को भी पेशी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा एन–केन प्रकरेण प्रार्थना पत्र की टी आई खारीज करना चाहते है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू है, यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षती होगी। पीठासीन अधिकारी ने पूर्व में ही अपने निर्णय का इजहार कर दिया है। प्रार्थीगण को पूरा यकीन है कि उक्त अप्रार्थीगण व पीठासीन अधिकारी आपस में साज–बाज हो गये है। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे यह लगना भी चाहिए कि उसको सही व निष्पक्ष न्याय मिलेगा।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी जाकिर हुसैन वगे0 बनाम जफरूदीन को उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया की विचाराधीन पत्रावली को स्थानान्तरण करने का वकील प्रार्थी द्वारा कोई आधार नही दिया गया है। विचाराधीन प्रकरण को देरी करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुंतकिल दायर किया गया है तथा युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण से पीठासीन अधिकारी का कोई संबंध व सरोकार नही है। इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान में कुछ भी कहना न्यायसंगत नही है। विचाराधीन प्रकरण में नियमानुसार विधिसंगत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है। विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र कि प्रमाणित प्रति जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को निवेदन किया गया है कि प्रकरण में केवियट विचाराधीन है। प्रार्थी को सुना जावें। जाकिर हुसैन द्वारा गलत तौर से स्थगन जारी करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के साथ पेश प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट की आदेशिकाओं की प्रति पेश की गई। प्रार्थी द्वारा स्थगन के बावजूद किये गये विक्रय पत्र की फोटोप्रति भी पेश की गई। है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली जाकीर हुसैन बनाम जफरूदीन वगे0 को मुंतकिल किया जाना आवश्यक समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाईदवामी बउनवान जाकीर हुसैन बनाम जफरूदीन वगे0 को न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सहायक कलक्टर अलवर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास एवं सहायक कलक्अर अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला ... अलवर